सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी—बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2024 / 183 दर्ज तिथिः—21.05.2024

1. भेरसिंह पुत्र भूरसिंह जाति राजपुरोहित निवासी रामजीगोल फॉटा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

.......................प्रार्थीगण

बनाम

1. खंगारसिंह पुत्र नेनसिंह
2. नारायण सिंह पुत्र नेनसिंह
3. रामचन्द्रसिंह पुत्र नेनसिंह
4. सूमेरसिंह पुत्र जीवराजसिंह
5. जुझारसिंह पुत्र जीवराजसिंह
6. पुनमसिंह पुत्र जीवराजसिंह
7. रिडमलसिंह पुत्र जीवराजसिंह
8. सवाईसिंह पुत्र राणसिंह
   समस्त जाति राजपुरोहित निवासी राजमी गोल फॉटा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।
9. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार गुड़ामालानी

.................विप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः— श्री पुनमाराम
अप्रार्थीगणः—श्री जगदीश विश्नोई

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—251ए
राजस्थान काश्तकारी अधि.—1955

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—10.02.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251—'क' के अन्तर्गत एक

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.25 20:19:48 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी 868 / 12 व 868 / 5 मौजा रामजी का गोल फांट तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित है। प्रार्थी की आराजी तक सिंचाई हेतु पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए अप्रार्थीगण की आराजी हाल खसरा संख्या 868 मौजा रामजी का गोल फांटा तहसील गुड़ामालानी से होते हुए सिंचाई हेतु पाईपलाईन बिछाकर सिंचाई करते आए हैं। परंतु अप्रार्थीगण द्वारा अब पाईपलाईन बिछाने से मना किया जाता है। इससे सिंचाई की पाईपलाईन को लेकर भारी विरोध रहता है एवं झगड़े की संभावना बनी रहती है। उक्त सिंचाई की पाईपलाईन के अतिरिक्त प्रार्थी की आराजी तक वर्तमान में कोई अन्य विकल्प नहीं है। अतः खसरा संख्या 868 मौजा रामजी का गोल फांटा तहसील गुड़ामालानी के सेढे से होकर प्रार्थी की आराजी तक सिंचाई की पाईपलाईन हेतु नवीन रिकॉर्डेड अंकन हेतु अनुतोष चाहा गया है। अंत में प्रार्थी की आराजीयात तक कोई सिंचाई की पाईपलाईन हेतु नवीन रिकॉर्डेड अंकन दर्ज रिकॉर्ड नहीं है तथा उक्त आवेदित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई लघुत्तम सिंचाई की पाईपलाईन हेतु नवीन रिकॉर्डेड अंकन का विकल्प नहीं होने के कारण उक्त आवेदित सिंचाई की पाईपलाईन हेतु नवीन रिकॉर्डेड अंकन कर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

जवाब / रिपोर्ट

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा असालतन—वकालतन हाजिर न्यायलय हुए। प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी से हाजा कार्यालय के पत्रांक / कोर्ट / आरए / 2024 / 2047 दिनांक 20.09.2024 द्वारा राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम—1955 के नियम—68 लगायत 70 के अनुसार पुनः मौका जॉच रिपोर्ट तलब की गई। प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक / कोर्ट / आरए / 2024 / 2047 दिनांक 20.09.2024 के अनुसार प्रेषित मौका रिपोर्ट तैयार करने में अपनायी गई प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार हैः—

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
Sub-Divisional Officer shall either inspect the site himself or	भू—अभिलेख निरीक्षक, पीपराली मय पटवारी मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।
get it inspected by an officer not below the rank of the Inspector Land Records	प्रकरण में दिनांक 28.08.2024 को भू—अभिलेख द्वारा मय पटवारी स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।
प्रकरण में पक्षकारो को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट	1. प्रकरण में समस्त प्रार्थीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस कमांक एस.पी—01—02 दिनांक 24.08.2024 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 28.08.2024 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई। 2. प्रकरण में समस्त अप्रार्थीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.25 20:19:48 IST
Reason: SelfAttested

तैयार की गई।	क्रमांक एस.पी–01–02 दिनांक 24.08.2024 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 28.08.2024 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।

जिरह

3. प्रकरण में विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की जिरह सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने–ए–जिरह प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए प्रार्थी की आराजीयात तक कोई सिंचाई की पाईपलाईन हेतु नवीन रिकॉर्डेड अंकन दर्ज रिकॉर्ड नहीं है तथा उक्त आवेदित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई लघुत्तम सिंचाई की पाईपलाईन हेतु नवीन रिकॉर्डेड अंकन का विकल्प नहीं होने के कारण उक्त आवेदित सिंचाई की पाईपलाईन हेतु नवीन रिकॉर्डेड अंकन कर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अभिभाषक अप्रार्थी ने दौराने–ए–जिरह तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक / कोर्ट / आरए / 2024 / 2047 दिनांक 20.09.2024 द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट आपत्ति प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि मौका रिपोर्ट बिना पक्षकारों को सूचना दिये व बिना मौका निरीक्षण किये तैयार की गई है। साथ ही प्रार्थी द्वारा आवेदित खसरा संख्या 868 / 5 से खसरा संख्या 868 / 12 तक सिंचाई की पाईपलाईन अप्रार्थीगणों की मौके पर बनाई गई रहवास व ढाणी से होकर प्रस्तावित की गई है। अगर प्रार्थी द्वारा आवेदित खसरा संख्या 868 / 5 से खसरा संख्या 868 / 12 तक सिंचाई की पाईपलाईन अप्रार्थीगणों की मौके पर बनाई गई रहवास व ढाणी से करीब 30 फीट दूरी से खसरा संख्या 868 से होकर प्रस्तावित की जाती है तो अप्रार्थीगणों को कोई एतराज नहीं है।

6. उक्त प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–क के विधिक प्रावधानों के सन्दर्भ में प्रार्थीगण हेतु सिंचाई की पाईपलाईन हेतु मार्ग की अत्यान्तिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक प्रार्थीगण हेतु सिंचाई की पाईपलाईन हेतु मार्ग हेतु अनुपलब्धता एवं तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक / कोर्ट / आरए / 2024 / 2047 दिनांक 20.09.2024 द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क काबिल–ऐ स्वीकार है। अतः तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक / कोर्ट / आरए / 2024 / 2047 दिनांक 20.09.2024 द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अनुसार खसरा संख्या 868 / 5 से खसरा संख्या 868 से होकर खसरा संख्या 868 / 12 मौजा रामजी का गोल फांटा तहसील गुड़ामालानी तक अप्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 868 पर बनी रहवास व ढाणी से करीब 30 फीट की दूरी रखते हुए मार्ग पर जमीन सतह से 01 मीटर गहराई में सिंचाई हेतु पाईपलाईन बिछाने के मार्ग में आई भूमि पर नियमानुसार भूमि एवं निर्माण, अगर कोई हो तो, की क्षतिपूर्ति राशि भुगतान पश्चात् राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–क के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.25 20:19:48 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक/कोर्ट/आरए/2024/2047 दिनांक 20.09.2024 द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अवलोकन तथा पीठासीन अधिकारी के स्वयं मौका निरीक्षण पश्चात विश्लेषित निष्कर्ष अनुसार प्रार्थीगण हेतु रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक रिकार्डेड रास्ते हेतु अनुपलब्धता के आधार पर स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेश दिये जाते है कि दिनांक 20.09.2024 की मौका जॉच रिपोर्ट में खसरा संख्या 868/5 से खसरा संख्या 868 से होकर खसरा संख्या 868/12 मौजा रामजी का गोल फांटा तहसील गुड़ामालानी तक अप्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 868 पर बनी रहवास व ढाणी से करीब 30 फीट की दूरी रखते हुए मार्ग पर जमीन सतह से 01 मीटर गहराई में सिंचाई हेतु पाईपलाईन बिछाने के मार्ग में आई भूमि एवं निर्माण के एवज में राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के नियम–70 के अनुसार क्षतिपूर्ति राशि आंकलित कर नियमानुसार क्षतिपूर्ति राशि के नियमानुसार भुगतान पश्चात् उक्त नवीन सिंचाई हेतु पाईपलाईन के मार्ग को राजस्व नक्शे में दर्ज कर अंकन किया जावें। दिनांक 20.09.2024 की मौका जॉच रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुड़ामालानी को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 10.02.2025 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.25 20:19:48 IST
Reason: SelfAttested